उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक : 18.04.2020

यू0पी0सी0एल0 के वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु टैरिफ आदेश : मुख्य बिन्दु

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा वित्तीय वर्ष 2018–19 के सहीकरण (truing up), वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक निष्पादन समीक्षा (APR) एवं वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) एवं टैरिफ याचिका पर निर्धारण हेतु दिनांक 30 नवम्बर, 2019 को आयोग के समक्ष पीटिशन प्रस्तुत की गई।

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा विद्युत क्रय लागत एवं अन्य खर्चों के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु 14.00% वितरण हानि के आधार पर कुल धनराशि रू0 7598.08 करोड़ वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) दर्शायी गयी। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2018–19 के सहीकरण (truing up) को सम्मिलित करते हुए दर्शित धनराशि रू0 535.71 करोड़ के राजस्व अन्तर की वसूली के लिए यू0पी0सी0एल0 द्वारा औसत टैरिफ दरों में लगभग 7.70% की वृद्धि प्रस्तावित की गयी थी। उक्त के अतिरिक्त, पिटकुल, एसएलडीसी एवं यूजेवीएन लि0 ने भी वित्तीय वर्ष 2020–21 में टैरिफ वृद्धि का प्रस्ताव आयोग के समक्ष प्रेषित किया गया था। आयोग द्वारा, यदि इनके प्रस्तावित दरों को as it is स्वीकृत किया जाता तो उपभोक्ताओं के टैरिफ में वित्तीय वर्ष 2020–21 में 13.31% की वृद्धि होती।

- **इस टैरिफ आदेश में आयोग द्वारा अभिलेखों के समीक्षोपरान्त निम्न अनुमोदन किये गयेः–**

  (1) वित्तीय वर्ष 2018–19 के संप्रेक्षित लेखों के आधार पर अन्तिम सहीकरण (truing up)।

  (2) वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) वित्तीय वर्ष 2020–21

  (3) वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु टैरिफ निर्धारण।

- यू0पी0सी0एल0 द्वारा प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के परीक्षणों के आधार पर आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) रू0 6957.12 करोड़ निर्धारित किया गया है।

उक्त ARR में वित्तीय वर्ष 2018–19 के अन्तिम सहीकरण (final truing up) के फलस्वरूप आंगणित धनराशि के समायोजनोपरान्त अनुमोदन किया गया है।

- आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए वितरण हानि 14.00% स्वीकृत की गई (यूपीसीएल द्वारा वितरण हानि 14.00% प्रस्तावित की गयी थी)। इस प्रकार अनुमानित विक्रय एवं वितरण हानि के अन्तर को समायोजित करते हुए वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिये कुल 14,831.14 एम0यू0 ऊर्जा की आवश्यकता होगी।

- आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं का टैरिफ पुनर्निर्धारण करते समय सभी श्रेणियों की क्रॉस–सब्सिडी को कम करने का प्रयास किया गया है।

- वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित वार्षिक राजस्व आवश्यकता (ARR) का विवरण निम्नानुसार हैः–

तालिका : 1 वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता हेतु अनुमोदन (रू0 करोड़)

क्र.	विवरण	यूपीसीएल द्वारा प्रस्तावित	आयोग द्वारा अनुमोदित
1.	विद्युत क्रय पर खर्च	5330.64	5252.57
2.	वाटर टैक्स	260.06	260.06
3.	यूजेवीएन लि0 बकाया		29.02
4.	पारेषण शुल्क		
	पीजीसीआईएल	373.37	429.89
	पिटकुल एवं एस0एल0डी0सी0 चार्जेज	415.45	286.49
5.	ऋण पर ब्याज	195.43	137.46
6.	मूल्य ह्रास	201.30	167.47
7.	O&M व्यय	743.61	554.19
8.	कार्यशील पूंजी पर ब्याज	16.13	0.00
9.	लाभांश	153.25	114.55
10.	**वार्षिक राजस्व आवश्यकता**	**7689.24**	**7231.69**
11.	घटायाः गैर टैरिफ आय	-244.41	-244.41
12.	जोड़ः सहीकरण का प्रभाव अन्तर/(अधिशेष)	153.24	-30.16
13.	**शुद्ध राजस्व आवश्यकता**	**7598.08**	**6957.12**

वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु रिटेल टैरिफ के मुख्य बिन्दु:

- **राज्य के उपभोक्ताओं द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु अनुमोदित टैरिफ के साथ अतिरिक्त विद्युत मूल्य (AEC) मार्च 2020 तक का भुगतान किया गया है।**
- **बीपीएल/लाईफलाईन एवं हिमाच्छादित क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ को घटाकर रू0 1.83 प्रति यूनिट, जो कि मार्च 2020 तक निर्धारित है, को 01.04.2020 से (–)12.02% कम करते हुए रू0 1.61 प्रति यूनिट अनुमोदित किया गया है।**
- **घरेलू उपभोक्ताओं के टैरिफ में औसत कमी रू0 0.18 प्रति यूनिट होगी, जो कि वर्तमान टैरिफ से (–) 3.9% कम है।**
- **गौशाला/गौसदन जिनका लोड 4 kW तक है तथा उपभोग 600 यूनिट प्रतिमाह तक है, उन्हें घरेलू श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। यह सीमा पूर्व में 2 kW तथा उपभोग 200 यूनिट प्रतिमाह निर्धारित की गयी थी। यदि उपरोक्त सीमा से अधिक उपभोग किया जाता है तो बिलिंग अघरेलू श्रेणी में की जाएगी।**
- **लघु डेयरी, जिनका लोड 4 kW तक है तथा उपभोग 600 यूनिट प्रतिमाह तक है उन्हें भी घरेलू श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। जिनकी बिलिंग पूर्व में अघरेलू श्रेणी में की जाती थी।**
- पीटीडब्ल्यू श्रेणी के उपभोक्ता जो पूर्व में रू0 2.13 प्रति यूनिट का भुगतान करते थे, उनके लिए अप्रैल 2020 से विद्युत मूल्य में (-) 4.03% की कमी करते हुए रू0 2.04 प्रति यूनिट से निर्धारित किया गया है। टैरिफ पॉलिसी में दिये गये प्रावधान के अन्तर्गत सभी श्रेणियों का टैरिफ औसत मूल्य आपूर्ति के +/-20% की सीमा के भीतर रखना होता है। पीटीडब्ल्यू का टैरिफ अगर आपूर्ति की औसत लागत का 80% निर्धारित किया जाता है तो वह रू0 4.22 प्रति यूनिट होता है। इस तरह की वृद्धि के परिणामस्वरूप अचानक टैरिफ वृद्धि होती, इसलिए पीटीडब्ल्यू श्रेणी के उपभोक्ताओ का टैरिफ आपूर्ति की औसत लागत के 36.93% पर रखा गया है।
- **अविरल आपूर्ति सरचार्ज के अन्तर्गत विद्युत मूल्य को वर्तमान में लागू 10% से घटाकर 7.5% किया गया है।**
- पब्लिक इलैक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन के लिए पृथक श्रेणी बनायी गयी है तथा इस श्रेणी के लिए निर्धारित किया गया टैरिफ को लगभग समान दर रू0 5.50 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, जो उपभोक्ता अपने भवन/परिसरों में इलैक्ट्रिक वाहनों की बैटरियॉ चार्जे करते है, उनके लिए उक्त भवन/परिसर में लिये गये संयोजन पर लागू टैरिफ ही अनुमन्य होगा।
- वे उपभोक्ता जो प्रीपेड मीटरिंग के अन्तर्गत विद्युत सप्लाई प्राप्त कर रहें हैं उन्हें विद्युत प्रभार पर घरेलू श्रेणी में 4% तथा अन्य एल0टी0 उपभोक्ता को 3% की छूट पूर्व की भांति यथावत् रहेगी। प्रीपेड मीटरिंग की सम्बन्धित अन्य शर्तें भी टैरिफ आदेश में अनुमोदित की गई है।

- **वर्तमान में लागू औसत बिलिंग जो कि माह मार्च 2020 तक लागू थी एवं अप्रैल 2020 से लागू श्रेणीवार तुलना निम्न तालिका में दर्शित है :—**

तालिका—2 : वित्तीय वर्ष 2020—21 हेतु औसत बिलिंग दर में कमी

श्रेणी	औसत बिलिंग दर		कमी (Rs. Per unit)	कमी % में
	वर्तमान Rs/kWh	अनुमोदित Rs/kWh		
घरेलू	4.62	4.44	0.18	(-) 3.90%
अघरेलू	6.73	6.38	0.35	(-) 5.20%
गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी	6.21	5.83	0.38	(-) 6.12%
पीटीडब्ल्यू	2.13	2.04	0.09	(-) 4.23%
एल0टी0 इंडस्ट्रीज	6.26	6.03	0.23	(-) 3.67%
एच0टी0 इंडस्ट्रीज	6.29	6.06	0.23	(-) 3.66%
मिक्स लोड	5.84	5.64	0.20	(-) 3.42%
रेलवे	6.30	5.93	0.37	(-) 5.87%
औसत कटौती				**(-) 4.00%**

- **घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के बिलों में कमी को निम्न तालिका में दर्शाया गया है :—**

तालिका —3 : घरेलू उपभोक्ताओं हेतु बिलिंग प्रभार

उपभोग	वर्तमान टैरिफ					अनुमोदित टैरिफ				कमी % में
	स्थिर प्रभार	विद्युत मूल्य	अतिरिक्त विद्युत मूल्य (AEC)	कुल मूल्य	औसत टैरिफ	स्थिर प्रभार	विद्युत मूल्य	कुल मूल्य	औसत टैरिफ	
यूनिट प्रतिमाह	Rs	Rs	Rs	Rs	Rs/kWh	Rs	Rs	Rs	Rs/kWh	%
100	55	275	39	369	3.69	60	280	340	3.4	**(-) 7.86%**
200	85	620	78	793	3.97	95	655	750	3.75	**(-) 5.42%**
300	145	1110	117	1382	4.61	165	1170	1335	4.45	**(-) 3.40%**
400	145	1600	156	1911	4.78	165	1685	1850	4.63	**(-) 3.19%**
500	230	2165	195	2600	5.20	260	2275	2535	5.07	**(-) 2.50%**
औसत										**(-) 3.90%**

- विगत वर्षों में यूपीसीएल की बिलिंग कार्यों में सुधार को दृष्टिगत् रखते हुए, आयोग द्वारा एचटी0 उद्योगों एवं अन्य उपभोक्ताओं, जिनकी बिलिंग ओटोमेटिक मीटर रीडिंग (AMR) के माध्यम से की जा रही है, हेतु बिल भुगतान के लिए रियायत अवधि (Grace Period) को समाप्त किये जाने तथा देय तिथि के उपरान्त विलम्ब भुगतान अधिभार को लागू किया जाना लागू किया गया है।
    - यद्यपि, इस हेतु यूपीसीएल को यह सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि उपभोक्ताओं को बिल यथासमय तथा भुगतान की निर्धारित तिथि से न्यूनतम 15 दिवस पूर्व उपभोक्ताओं को बिल प्राप्त हो गये हो।

- यूपीसीएल को यह भी सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा कि उपभोक्ताओं को बिल उनकी रजिस्टर्ड ई–मेल आईडी के माध्यम से प्रेषित किया गया जायेगा तथा बिलों का सार उपभोक्ताओं के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर ''SMS'' के माध्यम से भी सूचित किया जायेगा।
- इस प्राविधानों को आयोग द्वारा इस आदेश की तिथि से 6 माह के उपरान्त समीक्षा की जायेगी।
- यदि इस सम्बन्ध में उपभोक्ताओं से शिकायतें प्राप्त होती है कि उन्हें बिलों की प्राप्ति में विलम्ब हो रहा है या इस प्रकार की प्राविधानों का उल्लंघन हो रहा हो कि बिल को न्यूनतम 15 दिवस पूर्व उपभोक्ताओं को डिलीवर नहीं किया जा रहा है तो, इस सम्बन्ध में आयोग पुनः रियायत अवधि (Grace Period) के प्राविधानों को लागू कर सकता है।

- विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये दिनांक 01.04.2020 से अनुमोदित फुटकर टैरिफ दरों का विवरण निम्नवत् हैः–

विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु श्रेणीवार वर्तमान, प्रस्तावित तथा अनुमोदित टैरिफ

आर0टी0एस0–1: घरेलू

तलिका 4 : घरेलू उपभोक्ताओं हेतु टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ				UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	अतिरिक्त विद्युत मूल्य (AEC)	कुल विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0–1: घरेलू								
1.1	लाईफ–लाईन उपभोक्ता	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh	Rs. 0.22/kWh	Rs. 1.83/kWh	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.90/kWh	**Rs. 18/ Connection**	**Rs. 1.61/kWh**
1.2	अन्य घरेलू उपभोक्ता								
(i)	0-100 यूनिट्स / माह	Rs. 55/ Connection	Rs. 2.75/kWh	Rs. 0.39/kWh	Rs. 3.14/kWh	Rs. 75/ Connection	Rs. 3.26/kWh	**Rs. 60/ Connection**	**Rs. 2.80/kWh**
(ii)	101-200 यूनिट्स / माह	Rs. 85/ Connection	Rs. 3.55/kWh	Rs. 0.39/kWh	Rs. 3.94/kWh	Rs. 135/ Connection	Rs. 5.25/kWh	**Rs. 95/ Connection**	**Rs. 3.75/kWh**
(iii)	201-400 यूनिट्स / माह	Rs. 145/ Connection	Rs. 4.90/kWh	Rs. 0.39/kWh	Rs. 5.29/kWh	Rs. 135/ Connection	Rs. 5.25/kWh	**Rs. 165/ Connection**	**Rs. 5.15/kWh**
(vi)	400 से ऊपर यूनिट्स / माह	Rs. 230/ Connection	Rs. 5.65/kWh	Rs. 0.39/kWh	Rs. 6.04/kWh	Rs. 135/ Connection	Rs. 5.25/kWh	**Rs. 260/ Connection**	**Rs. 5.90/kWh**
2	एकल बिन्दु थोक आपूर्ति	Rs. 75/kW	Rs. 4.40/kWh	Rs. 0.39/kWh	Rs. 4.79/kWh	Rs. 85/kW	Rs. 4.85/kWh	**Rs. 85/kW**	**Rs. 4.85/kWh**

आर0टी0एस0–1 ए : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती प्रभार

तालिका 5 : हिमाच्छादित क्षेत्रों हेतु रियायती टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ				UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	अतिरिक्त विद्युत मूल्य (AEC)	कुल विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
	आर0टी0एस0 1ए : हिमाच्छादित								
1	घरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh	Rs. 0.22/kWh	Rs. 1.83/kWh	Rs. 25/ Connection	Rs. 1.61/kWh	**Rs. 18/ Connection**	**Rs. 1.61/kWh**
2	1 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 1.61/kWh	Rs. 0.22/kWh	Rs. 1.83/kWh	Rs. 25/ Connection	Rs. 1.61/kWh	**Rs. 18/ Connection**	**Rs. 1.61/kWh**
3	1 किलो वाट से ऊपर व 4 किलो वाट तक के अघरेलू	Rs. 18/ Connection	Rs. 2.36/kWh	Rs. 0.22/kWh	Rs. 2.58/kWh	Rs. 25/ Connection	Rs. 2.36/kWh	**Rs. 18/ Connection**	**Rs. 2.36/kWh**
4	4 किलो वाट से ऊपर के अघरेलू	Rs. 30/ Connection	Rs. 3.51/kWh	Rs. 0.22/kWh	Rs. 3.73/kWh	Rs. 40/ Connection	Rs. 3.51/kWh	**Rs. 30/ Connection**	**Rs. 3.51/kWh**

आर0टी0एस0–2 : अघरेलू टैरिफ

तालिका 6 : अघरेलू उपभोक्ताओं के लिए टैरिफ

क्र0 सं0	विवरण	वर्तमान टैरिफ				UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
		स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	अतिरिक्त विद्युत मूल्य (AEC)	कुल विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
1	सरकारी, शैक्षणिक संस्थानों एवं चिकित्सालयों आदि								
1.1	25 किलो वॉट तक	Rs. 65/ kW	Rs. 4.50/ kWh	Rs. 0.56/kWh	Rs. 5.06/ kWh	Rs. 90/ kW	Rs 5.00/ kWh	**Rs. 70/ kW**	**Rs. 4.60/ kWh**
1.2	25 किलो वॉट से ऊपर	Rs. 75/ kVA	Rs. 4.25/ kVAh	Rs. 0.53/ kVAh	Rs. 4.78/ kVAh	Rs. 100/ kVA	Rs. 4.80/kVAh	**Rs. 80/ kVA**	**Rs. 4.35/ kVAh**
2	अन्य अघरेलू उपभोक्ता								
2.1	4 कि0वॉ0 तक तथा उपभोग 50 यूनिट्स तक प्रतिमाह	Rs. 70 / kW	Rs. 4.70/ kWh	Rs. 0.56/kWh	Rs. 5.26/ kWh	Rs. 80 / kW	Rs. 4.85/ kWh	**Rs. 70 / kW**	**Rs. 4.70/ kWh**
2.2	अन्य 25 किलोवॉट तक जो ऊपर 2.1 में शामिल नहीं	Rs. 75 / kW	Rs. 5.60/ kWh	Rs. 0.56/kWh	Rs. 6.16/ kWh	Rs. 90 / kVA	Rs. 6.45/ kVAh	**Rs. 85 / kW**	**Rs. 5.75/ kWh**
2.3	25 किलो वॉट से ऊपर	Rs. 75 / kVA	Rs. 5.45/ kVAh	Rs. 0.53/ kVAh	Rs. 5.98/ kVAh	Rs. 90 / kVA	Rs. 6.15/kVAh	**Rs. 85 / kVA**	**Rs. 5.60/ kVAh**
3	75 किलोवॉट से ऊपर सिंगल प्वाइंट थोक आपूर्ति	Rs. 75 / kVA	Rs. 5.50/ kVAh	Rs. 0.53/ kVAh	Rs. 6.03/ kVAh	Rs. 90 / kVA	Rs. 6.20/kVAh	**Rs. 85 / kVA**	**Rs. 5.65/ kVAh**
4	स्वतंत्र विज्ञापन होर्डिंग	Rs. 90/ kW	Rs. 6.10/kWh	Rs. 0.56/kWh	Rs. 6.66/kWh	Rs. 90 / kVA	Rs. 6.45/ kVAh	**Rs. 100/ kW**	**Rs. 6.25/kWh**

आर0टी0एस0–3 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटिज़

तलिका 7 : गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटिज़ हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ				UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	अतिरिक्त विद्युत मूल्य (AEC)	कुल विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
शहरी	Rs. 60/kVA	Rs. 5.20/ kVAh	Rs. 0.47/kVAh	Rs. 5.67/ kVAh	Rs. 100/kVA	Rs. 5.80/ kVAh	**Rs. 70/kVA**	**Rs. 5.40/ kVAh**
ग्रामीण	Rs. 50/kVA	Rs. 5.20/ kVAh	Rs. 0.47/kVAh	Rs. 5.67/ kVAh	Rs. 90/kVA	Rs. 5.80/ kVAh	**Rs. 60/kVA**	**Rs. 5.40/ kVAh**

आर0टी0एस0–4 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

तालिका 8 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स हेतु टैरिफ

श्रेणी	वर्तमान टैरिफ				UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	अतिरिक्त विद्युत मूल्य (AEC)	कुल विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–4 : निजी नलकूप/पंपिंग सेट्स								
मीटर्ड	Nil	Rs. 1.95/ kWh	Rs. 0.18/kWh	Rs. 2.13/ kWh	Nil	Rs. 2.15/ kWh	**Nil**	**Rs. 2.03/ kWh**
आर0टी0एस0–4ए : कृषि सहयोगी सेवायें								
मीटर्ड	Nil	Rs. 1.95/ kWh	Rs. 0.18/kWh	Rs. 2.13/ kWh	Nil	Rs. 2.15/ kWh	**Nil**	**Rs. 2.25/ kWh**

आर0टी0एस0–5 : इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

तालिका 9 : एलटी इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

श्रेणी	वर्तमान टैरिफ				UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर/मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	अतिरिक्त विद्युत मूल्य (AEC)	कुल विद्युत मूल्य	स्थिर/मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर/मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
1. एल0टी0 इंडस्ट्रीज (25 किलोवॉट तक)	Rs. 145/ kW	Rs. 4.35/ kWh	Rs. 0.53/kWh	Rs. 4.88/ kWh	Rs. 180/ kVA	Rs. 4.80/ kWh	**Rs. 155/ kW**	**Rs. 4.60/ kWh**
2. एल0टी0 इंडस्ट्रीज (25 किलोवॉट से ऊपर तथा 75 किलोवॉट तक)	Rs. 145/ kVA	Rs. 4.00/ kVAh	Rs. 0.50/kVAh	Rs. 4.50/ kVAh	Rs. 180/ kVA	Rs. 4.40/ kVAh	**Rs. 150/ kVA**	**Rs. 4.25/ kVAh**

तालिका 10 : एचटी इंडस्ट्रीज हेतु टैरिफ

क0	श्रेणी	लोड फेक्टर	वर्तमान टैरिफ				UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
			विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	अतिरिक्त विद्युत मूल्य (AEC) (Rs./kVAh)	कुल विद्युत मूल्य (Rs./kVA)	स्थिर /मॉग प्रभार ((Rs./kVAh)	विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVA)	विद्युत मूल्य (Rs./kVAh)	स्थिर /मॉग प्रभार (Rs./kVA)
1	88kVA/75 kW (100 BHP) से अधिक अनुबन्धित लोड वाली एच0टी0 इंडस्ट्रीज									
1.1	1000 kVA तक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	3.95	0.50	4.45	Rs. 300/kVA of the billable demand	4.40	Rs. 350/kVA of the billable demand	**4.20**	**Rs. 310/kVA of the billable demand**
		Above 40%	4.35	0.50	4.85		4.75		**4.60**	
1.2	1000 kVA से अधिक अनुबन्धित लोड	Upto 40%	3.95	0.50	4.45	Rs. 360/kVA of the billable demand	4.40	Rs. 445/kVA of the billable demand	**4.20**	**Rs. 370/kVA of the billable demand**
		Above 40%	4.35	0.50	4.85		4.75		**4.60**	

आर0टी0एस0–6 : मिश्रित भार हेतु टैरिफ

तालिका 11 : मिश्रित भार हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ				UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	अतिरिक्त विद्युत मूल्य (AEC)	कुल विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–6 : मिश्रित भार								
डीम्ड लाईसेंसी के रूप में एम0ई0एस0 सहित 75 किलोवॉट से ऊपर मिश्रित भार सिंगल प्वाईंट थोक आपूर्ति	Rs. 80/kW	Rs. 5.05/ kWh	Rs. 0.49/ kWh	Rs. 5.54 /kWh	Rs. 110/kW	Rs. 5.70/kWh	**Rs. 90/kW**	**Rs. 5.30/kWh**

आर0टी0एस0–7 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

तलिका 12 : रेलवे ट्रैक्शन हेतु टैरिफ

विवरण	वर्तमान टैरिफ				UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	अतिरिक्त विद्युत मूल्य (AEC)	कुल विद्युत मूल्य	मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	मॉग प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0-7: रेलवे ट्रैक्शन	Rs.250/kVA	Rs. 4.40/kVAh	Rs. 0.49/kVAh	Rs. 4.89/kVAh	Rs. 320/kVA	Rs. 5.00/kVAh	**Rs. 250/kVA**	**Rs. 4.65/kVAh**

आर0टी0एस0–8 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस्

तालिका 13 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस् हेतु टैरिफ

विवरण	UPCL द्वारा प्रस्तावित टैरिफ		अनुमोदित	
	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य	स्थिर प्रभार (प्रति माह)	विद्युत मूल्य
आर0टी0एस0–8 : इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनस्	--	Rs. 6.00/ kWh	--	**Rs. 5.50/ kWh**

****